

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

पत्र संख्या—1 / एल1—10—03 / 2012 गृ0आ0 / श्री सौरभ कुमार शाह, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, सीवान को निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली—1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2016 से 06.01.2017 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों की उपर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री शाह के अवकाश अवधि में श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (2003), समादेष्टा, बिठौर—05, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीवान के प्रभार में रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—1 / एल1—10—03 / 2012 गृ0आ0 / पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—7 / प्रभारी ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—1 / एल1—10—03 / 2012 गृ0आ0 / पटना, दिनांक दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:— महालेखाकार (ले0 एवं ह०), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—1 / एल1—10—03 / 2012 गृ0आ0 ९६५६ / पटना, दिनांक ०८ . दिसम्बर, 2016

प्रतिलिपि:— अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली / पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना / श्री सौरभ कुमार शाह, भा0पु0से0 (2009), पुलिस अधीक्षक, सीवान / श्री राजेश कुमार, भा0पु0से0 (2003), समादेष्टा, बिठौर—05, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—5, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना / आईटी० प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W.P.
सरकार के अपर सचिव।